न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —3/2006 (रेफरेंस)

GCMS No.- 2006/00011

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा

—प्रार्थी.

बनाम

1. सिद्धराज सिंह पुत्र चतर सिंह जाति राजपूत कोटा
2. श्री कुलदीप सिंह पुत्र भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी 2 क 3 टीचर्स कोलोनी केशवपुरा कोटा
3. संदीप सिह पुत्र भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी 2 क 3 टीचर्स कोलोनी केशवपुरा कोटा
4. सुश्री मनीशा चौहान पुत्र भवानी सिंह चौहान जाति राजपूत निवासी 2 क 3 टीचर्स कोलोनी कोटा

—अप्रार्थी.

रेफरेंस वास्ते ग्राम भीमपुरा के नामान्तकरण 15 दिनांक 21.10.91 को निरस्त करने के कम में ।

उपस्थितः—

1. श्री पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक—20.02.2024

1. रेफरेंस का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भीमपुरा स्थित आराजी खसरा नं0 2/1 रकबा 0.48 हे0 गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 21.10.91 को स्वीकृत किया गया ।

2. उक्त नामान्तकरण की अप्रसन्नता में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा यह रेफरेन्स इस न्यायालय में दिनांक 24.11.2006 को प्रस्तुत किया कि ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा की आराजी ख0नं0 2/1 रकबा 0.48 हे0 भूमि सीलिंग प्रकरण के अन्तर्गत अधिग्रहण होने से सिवायचक दर्ज होकर आवंटन हुई थी । सीलिंग अधिग्रहित आराजी ख0नं0 2/1 रकबा 0.48 हे0 अप्रार्थी नं0 1 श्री सिद्धराज सिंह पुत्र चतर सिंह को आवंटित होने से आवंटी को गैर खातेदार दर्ज किया गया था । तहसीलदार लाडपुरा के आदेश कमांक/भू0अ0/91/4288 दिनांक 15.10.91 से उक्त भूमि पर गैर खतेदारी से खातेदारी दर्ज करने का आदेश पारित किया गया जो नियमों के प्रतिकूल था क्योंकि सीलिंग सिवायचक भूमि पर दर्ज गैर खातेदार को खातेदारी अधिकारी देने की शक्तियां उपखण्ड अधिकारी में निहित है । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने क्षैत्राधिकार से परे जाकर ग्राम भीमपुरा के ख0नं0 2/1 रकबा 0.48 हे0 खातेदारी दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया है । तहसीलदार के आदेश कमांक/भू. अ./4288 दिनांक 15.10.91 से नामा0 नं0 15 दिनांक 21.10.91 दर्ज होकर स्वीकृत किया गया है जो निरस्त योग्य है क्यांकि जिस आदेश की पालना में उक्त नामा0 दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है वह आदेश ही नियम विरूद्व था । अप्रार्थी नं0 1 द्वारा जर्ये विक्रय पत्र उक्त भूमि का बेचान अप्रार्थीगण 2 लगायत 4 को कर दिया है । इसलिये 2 लगायत 4 को भी अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है । अतः ग्राम भीमपुरा का नामा0 नं0 15 निरस्त किये जाने योग्य है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

3. रेफरेंस पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई । अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता का वकालतनामा पेश हुआ । वकील अप्रार्थी द्वारा रेफरेंस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा गत पेशी दिनांक 11.8.2021 से इस प्रकरण

में निरन्तर अनुपस्थित चल रहे है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी ।

4. पेंरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि तत्कालीन तहसीलदार द्वारा अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर सीलिंग आवंटन भूमि ग्राम भीमपुरा के ख0नं0 2/1 रकबा 0.48 हे0 खातेदारी दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया है तथा जिसका नामा0 नं0 15 दिनांक 21.10.91 स्वीकृत किया गया है जो निरस्त योग्य है । क्योंकि तहसीलदार को सीलिंग आवंटन भूमि में खातेदारी अधिकार देने का कार्यक्षैत्र नहीं होकर यह कार्य उपखण्ड अधिकारी को है । क्योंकि जिस आदेश से नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है वह नियमविरूद्व होने से स्वीकृत नामान्तकरण निरस्त फरमाया जावें ।

5. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की प्रार्थना सही है क्योंकि सीलिंग आवंटन भूमि में में खातेदारी अधिकार उपखण्ड अधिकारी का है, ऐसे में अधिकार क्षैत्र से परे जाकर खातेदारी अधिकार देना ओर उसका नामान्तकरण स्वीकृत करना यह सब कार्यवाही नियम विरूद्व है ।

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा आदेश कमांक/भू–अभि0/4288 दिनांक 15.10.91 के अनुसरण में स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 15 दिनांक 21.10.91 निरस्त किया जाता है । तहसीलदार लाडपुरा प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करें ।

7. निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा